न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर 278

निग 3185-I/16

मजीरा तनय मनुवा बसोर ,

निबासी ग्राम मामौन , तह0 एवं जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.................आवेदक

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला द्वारा प्र0 क0 06/स्व0 निग/2015–16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22/03/2016 से परिवेदित होकर कर रहा हैं। जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक को ग्राम मामौन, तहसील टीकमगढ़, स्थित भूमि खसरा नंबर 546/2 रकवा 0.539 हैक्टेयर का पटटा कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 02/06/1976 के आधार पर दिनांक 30/07/1976 को तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रदान किया गया था। जिसके आधार पर उसका नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हो गया था। जो बर्ष 1993–94 तक दर्ज रहा। तदुपरांत पटवारी हल्का द्वारा खसरा रोस्टर के दौरान आवेदक का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के छोड़ दिया गया। जिसके आधार पर नाम दर्ज कराने वावद आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार महोदय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया।

3– यह कि उपरोक्त आवेदनपत्र को तहसीलदार महोदय द्वारा प्र0 क0 23/अ–6/2013–14 पर दर्ज करके, अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/01/2014 के द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर पटवारी से प्रतिवेदन आदि प्राप्त करके साक्ष्य आदि एकत्रित करके आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार हाल क. 1 सिविल कोर्ट टीकमगढ़
म.न. 142, मनोरमा कॉलोनी, टीकमगढ़
मो.– 9425451002

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3/85 /I/2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **मजीरा बसोर वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-9-16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 06/स्व0 निग0/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22/03/2016 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों से सहमत होकर निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि आवेदक को ग्राम मामौन, तहसील टीकमगढ़, स्थित भूमि खसरा नंबर 546/2 रकवा 0.539 हैक्टेयर का पट्टा कलेक्टर के आदेश दिनांक 02/06/1976 के आधार पर दिनांक 30/07/1976 को तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रदान किया गया था। जिसके आधार पर उसका नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हो गया था। जो बर्ष 1993–94 तक दर्ज रहा। तदुपरांत पटवारी हल्का द्वारा खसरा रोस्टर के दौरान आवेदक का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के छोड़ दिया गया। जिस पर नाम दर्ज कराने बाव्द आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। उपरोक्त आवेदनपत्र को तहसीलदार द्वारा प्र0क0 23/अ–6/2013–14 पर दर्ज करके, पारित आदेश दिनांक 13/01/2014 के द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन आदि प्राप्त करके, साक्ष्य आदि एकत्रित करके आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। उपरोक्त आदेश दिनांक 13/01/2014 के उपरांत तत्कालीन तहसीलदार द्वारा एक प्रतिवेदन दिनांक 10/04/2015 के करीब 15 माह उपरांत कलेक्टर को गलत	

तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक एवं तत्कालीन तहसीलदार श्री दिनेश शुक्ला को विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर दस्तावेजों के ही मात्र एस0 एल0 आर0 के कथन लेख करके पारित आदेश दिनांक 22/03/2016 के द्वारा निगरानी स्वीकार करके, तहसीलदार का उपरोक्त आदेश निरस्त करके आवेदक एवं तत्कालीन तहसीलदार के पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक द्वारा अपनी निगरानी कि साथ कलेक्टर टीकमगढ़ के संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां तथा खसरा आदि की प्रतिलिपियां प्रस्तुत कीं गई हैं। जिनका अवलोकन करने पर तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 32 भू0 रा0 संहिता का तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्र0क्र0 23/अ—6अ/2013—14 पर दर्ज करके पटवारी आदि से प्रतिवेदन प्राप्त करके दिनांक 13/01/2014 को आवेदक का नाम वाद भूमि पर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। उसके करीब 15 माह उपरांत दिनांक 10/04/2015 को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा एक प्रतिवेदन तैयार करके कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 30/09/2015 को सुनवाई में लेकर सुनवाई प्रारंभ की, तत्कालीन तहसीलदार को कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया गया, ना ही वह न्यायालय में उपस्थित हुये, आवेदक की ओर से अधिवक्ता दिनांक 15/12/2014 तक उपस्थित रहे, उसके उपरांत दिनांक 18/01/2016 को प्रकरण में आवेदक के बिरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करके दिनांक 21/03/2016 को एस0 एल0 आर0 के कथन लेख करके दिनांक 22/03/2016 को अंतिम आदेश पारित करके तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया।

4— प्रकरण का अवलोकन करने पर यह त्रुटि भी परिलक्षित हुई कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 15 माह उपरांत स्वमेव निगरानी में प्रकरण लिया गया है। संपूर्ण कार्यवाही मात्र तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर की है, जिस पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसे परीक्षित नहीं कराया गया है, एस0 एल0 आर0 के प्रतिपरीक्षण का अवसर आवेदक को प्रदान नहीं किया गया, एक पक्षीय रूप से प्रश्नाधीन आदेश पारित करके तहसीलदार का आदेश निरस्त करके प्रकरण में लिप्त दोषियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया गया

है। जिसको करने से पूर्व सभी हितबद्ध साक्षियों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करना था। यहां तक कि जिस तहसीलदार ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया उसका भी परीक्षण नहीं किया गया। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में काफी लंबे समय उपरांत लिया है। जबकि न्याय दृष्टांत– 1994 आर0 एन 392 – हा0 कोर्ट, 2010 रानि 273 हा0 कोर्ट , 2011 आर0 एन0 426 एवं आर0 एन0 2010 हा0 कोर्ट 409 पूर्ण पीठ में व्यवस्था प्रदान की गई है कि, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग – आदेश की अबैधता , अनौचित्य तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिये –180 दिन के भीतर प्रयोग की जाना चाहिये। इस लिये उपरोक्त न्याय दृष्टांतों को नजर अंदाज करके जो आदेश पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूरा प्रकरण, कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पृथम दृष्टया आपराधिक कृत्य का दोषी माना है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया है, जबकि इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5– कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित इसी आदेश से परिवेदित होकर पूर्व में एक निगरानी तत्कालीन तहसीलदार टीकमगढ़ श्री दिनेश शुक्ला द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसे प्रकरण क्रमांक 1650/1/2016 पर दर्ज करके आदेश दिनांक 06/06/2016 के द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ही स्वीकार की गई थी। आवेदक की यह निगरानी भी उसी आदेश से परिवेदित होकर की गई है। उपरोक्त स्थिति में कलेक्टर टीकमगढ़ का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/03/2016 निरस्त किया जाता है, तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/01/2014 बहाल किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य